

## राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक : 27.11.2021

क्रमांक: वि.सं. 05/परीक्षा/A.S.O./RPSC/EP-I/2021-22

आयोग द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग हेतु सहायक सांख्यिकी अधिकारी (ASSISTANT STATISTICAL OFFICER) के कुल 218 पदों हेतु राज0 सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के अन्तर्गत एवं टीएसपी क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्त) नियम, 2014 के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई हैं एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है) का वर्गवार वर्गीकरण निम्नानुसार है:-

No. of Post(s)	Gen. (U.R.)				S.C.				S.T.				O.B.C.				E.W.S.				M.B.C.				
	सामाजिक समाजिक (अन्य)	सामाजिक समाजिक (अन्य)	विधवा	परिवर्तित																					
203 (NON TSP)	52	15	6	2	23	7	2	0	17	5	2	0	30	9	3	0	14	5	1	0	7	2	1	0	
<b>दण्डवत आरक्षण – भूतपूर्व सैनिक 25 पद, विशेष योग्यजन 13 पद (B/LV-3, HI-3, LD/CP&amp;Others-3, I.D.,M.I.,S.L.D.,AUTISM&amp;Mul. Dis.-4)</b>																									
15 (TSP)	2	0	0	0	1	0	0	0	9	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>दण्डवत आरक्षण – भूतपूर्व सैनिक 1 पद, विशेष योग्यजन 2 पद (B/LV-0, HI-0, LD/CP&amp;Others-1, I.D.,M.I.,S.L.D.,AUTISM&amp;Mul. Dis.-1)</b>																									
नोट:- अनुसूचित जाति का 1 पद एवं अनुसूचित जनजाति के 10 (7 सामान्य, 2 महिला एवं 1 परिवर्तित) बैकलॉग के हैं। उक्त बैकलॉग के पद दिनांक 10.10.2002 के पश्चात के रिक्त हैं। केवल टी.एस.पी. क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी टी.एस.पी. क्षेत्र/ग्रेर टी.एस.पी. क्षेत्र (सामान्य क्षेत्र) के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से अंकित करें। अभ्यर्थी द्वारा भरे गये प्राथमिकता क्रम के अनुरूप ही विचार किया जायेगा। प्राथमिकता क्रम भरे नहीं जाने पर टी.एस.पी. क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध लाभ देय नहीं होगा। Abbreviations Used : Gen. – General, U.R.- Unreserved, SC – Scheduled Castes, ST- Scheduled Tribes, OBC – Other Backward Classes, MBC- More Backward Classes, EWS – Economically Weaker Sections, B/LV- Blind/Low Vision, H.I. - Hearing Impaired, LD-Locomotor Disability, CP-Cerebral palsy, I.D.-Intellectual Disability, M.I.-Mental Illness, S.L.D.-Specific Learning Disabilities, Mul. Dis.-Multiple Disabilities																									

## नोट :-

- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जनजातियों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रनीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगीतित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथार्थिति, अनुसूचित जनजातियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्तिपश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
- राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
- किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह महिलाओं से या विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गई रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तिपश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवा और विच्छिन्न विवाह महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षेत्रिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिला को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
- विशेषयोग्यजन/निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक के लिए दर्शाइ गए पदों का आरक्षण क्षेत्रिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कोई रिक्तिपश्चात्वर्ती भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह जाती है तो उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी तथा उत्पश्चात ऐसी रिक्तियां व्यगत हो जायेगी।
- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्तिपश्चात्वर्ती वैचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्तिआं आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त वैचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निधरित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो उसे नियोक्ता उस रिक्तिको निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय होगा।

## अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएँ :-

- At least a second class master's degree in Mathematics, Statistics, Economics or Commerce OR Master degree in any of the above subject with one year diploma in Statistics from a recognized University established by law in India.
  - "O" or Higher Level Certificate Course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India. OR Certificate course on Computer concept by NIELIT, New Delhi. OR Computer Operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and Computer Software (DPCS) Certificate organized under National/State Council or Vocational Training Scheme. OR Degree/Diploma/Certificate in Computer Science/Computer Application from a University established by law in India or from an institution recognized by the Government. OR Senior Secondary Certificate from a recognized Board of Secondary Education in the Country, with Computer Science/Computer Application as one of the subjects. OR Diploma in Computer Science & Engineering from a Polytechnic institution recognized by the Government. OR Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RSCIT) conducted by Vardhaman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited.
  - Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthani culture.
- |                 |   |
|-----------------|---|
| शैक्षणिक अर्हता | पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने के साथूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। |
| रिनिंग पे-बैण्ड | पे-मैट्रिक्स लेवल L-11 (Grade Pay -4200/-) नोट :- राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षाकाल में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।  |
| आयु सीमा        | दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम 18 एवं अधिकतम 40 से कम।  |
- |   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| विज्ञापित पदों के अनुरूप दर्शाये गये आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्गों / अन्य विशेष श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान  |  |                      |
| अधिकतम आयु में देय छूट  |  |                      |
| क्र.सं.   | अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशेष श्रेणिया  |                      |
| 1.  | राज0 राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष   | 5 वर्ष               |
| 2.  | राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला  | 10 वर्ष              |
| 3.  | सामान्य (अनारक्षित) वर्ग की महिला  | 5 वर्ष               |
| 4.  | विधवा एवं विच्छिन्न विवाह (परिवर्त्यका) महिला  | अधिकतम आयु सीमा नहीं |
| Explanation :- In the case of widow, she will have to furnish the certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish proof of divorcee.                           |  |                      |
| 5.  | उपर्युक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था।                        |                      |
| That the upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under Government on a substantive basis on any post before his conviction and was eligible for appointment under the Rules, |  |                      |
| 6.  | उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की कालावधि के बाबार की अवधि की छूट दी जाएगी। |                      |

	That the upper age limit mentioned above shall be relaxable by a period equal to the term of imprisonment served in the case of an ex-prisoner who was not over age before his conviction and was eligible for appointment under the Rules,
7	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे। That the persons appointed temporarily to a post in the Service shall be deemed to be within the age-limit, had they been within the age-limit, when they were initially appointed even though they have crossed the age-limit when they appear finally before the Commission or the Appointing Authority as the case may be and shall be allowed up to two chances had they been eligible as such at the time of their initial appointment;
8	That the upper age limit in the case of Ministerial and Class IV Employees of the Department for category of posts reserved for them under these Rules shall be 40 years.
9	That the upper age-limit mentioned above shall be relaxed upto 45 years for the persons repatriated from Burma and Ceylon on or after 01-03-1963 and East African Countries of Kenya, Tananyika, Uganda and Zanzibar with a further relaxation upto 5 years in the case of persons belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;
10	निर्मुक्त हुए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात आयु सीमा में ही समझा जाएगा चाहे उन्होंने आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बर्ती कि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। That the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Commission, had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.
11	पूर्ण अफीका के देश कीनिया, तंजानिया, उगान्डा और जंजीवार से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी। That there shall be no age-limit in the case of persons repatriated from East African Countries of Kenya, Tanganyika, Uganda and Zanzibar;
12	Notwithstanding anything contained contrary in these Rules, in the case of persons serving in connection with the affairs of the State in substantive capacity, the upper age-limit shall be 40 years for direct recruitment to posts filled in by competitive examinations.
13	सन् 1971 में हुय भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी। That there shall be no age-limit in the case of persons repatriated from Pakistan during the 1971 Indo-Pak War.
14	पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के कारोबार में Substantive रूप से कार्यरत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। Tha the upper age limit for persons serving in connection with the affairs of Panchayat Samities and Zila Parishads and in the state public sector undertaking/corporation in substantive capacity shall be 40 years.
15	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार अधीनस्थ सेवाओं के अंतर्गत अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु यह कि शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो उपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी। स्पष्टीकरण :— कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 यथासंशोधित प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अभ्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा।
16	राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार नियम विवरण के लिए ऊपर उल्लेखित उपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmarks disabilities.
नोट :- विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों (8, 12 एवं 14) जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम/तक की आयु सीमा में छूट दी गई हो, स्वतः ही निष्पाप्ती माने जायेंगे।	
नोट –	
1.उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 01 से 15 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।	
2.विशेषयोग्यजन को ऊपरी आयु सीमा में देय छूट के उपर्युक्त बिन्दु संख्या 01 से 15 तक के अनुसार छूट दिये जाने के पश्चात् बिन्दु संख्या 16 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त छूट देय होगी।	
3.कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/MBC/EWS) के अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) विवरण के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।	
4.उक्त पद आयोग द्वारा वर्ष 2018 में विज्ञापित किये गये थे, जिसके तहत आयु की गणना का आधार 01.01.2019 रखा गया था। तत्पश्चात् उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2022 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 में विहित प्रावधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।	
5.राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	
6.अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।	
7.विज्ञापन में अंकित शर्त/निर्देश के अतिरिक्त आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध विशेषज्ञता को विज्ञापन का भाग/हिस्सा माना जाएगा।	
<b>अन्य विवरण</b>	
चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा।
परीक्षा का स्थान एवं माह	परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित कर दिया जायेगा।
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ( <b>Offline/Online</b> ) ली जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर पृष्ठक से जारी किया जाएगा।
आवेदन अवधि	दिनांक 01.12.2021 से दिनांक 20.12.2021 तक 12-00 बजे तक।
आवेदन प्रक्रिया	1. उक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट <a href="https://rpsc.rajasthan.gov.in">https://rpsc.rajasthan.gov.in</a> पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। 2. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग के ऑनलाईन पोर्टल <a href="https://rpsc.rajasthan.gov.in">https://rpsc.rajasthan.gov.in</a> पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल <a href="https://sso.rajasthan.gov.in">https://sso.rajasthan.gov.in</a> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन करना होगा। 3. Recruitment Portal पर आधार आधारित One Time Registration (OTR) भी कर अभ्यर्थी परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। 4. अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् Recruitment Portal पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र क्रमांक (Application I.D.) जनरेट करना होगा। 5. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें। 6. अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफंड नहीं किया जायेगा। 7. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अन्तिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। 8. आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व अर्जित सभी शैक्षणिक योग्यता/अनुभव के दस्तावेज आवेदन के समय ही अपलोड किये जाएं, अन्यथा बाद में स्लिकार नहीं किये जायेंगे। केवल आवेदन के पश्चात् अर्जित शैक्षणिक योग्यता/अनुभव ही बाद में विचारणीय होंगे। 9. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन—पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन—पत्र क्रमांक (Application I.D.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन—पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा। 10. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें। 11. आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन-लाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर आयोग अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा। 12. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रिमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसंचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/अर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के

	<p>आवेदक सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।</p> <p><b>13. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र व परीक्षा शुल्क रसीद की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लेवे।</b></p> <p><b>14. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रतिवानुसार ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन/हाथ से भरा हुआ आवेदन—पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।</b></p>		
ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :-	आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् आयोग द्वारा आवेदक को उसके नाम, जन्म तिथि, विषय एवं वर्ग आदि की जानकारी एस.एम.एस. के जरिए भेजी जायेगी। एस.एम.एस. से प्राप्त जानकारी में विसंगति होने पर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में निम्नानुसार त्रुटि संशोधन कर सकता है :-		
1.	यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् <b>10</b> दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क रूपये <b>500/-</b> देकर Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट <a href="https://rpsc.rajasthan.gov.in">https://rpsc.rajasthan.gov.in</a> पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। <b>ऑनलाइन संशोधन के तहत आवेदक के नाम में संशोधन नहीं किया जायेगा।</b> आवेदक के नाम की वर्तनी संबंधी संशोधन के लिए किसी भी स्तर पर केवल ऑफलाइन प्रार्थना पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे, आवेदक का पूरा नाम किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।		
2.	आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन की तिथि में से 45 दिवस पूर्व <b>10</b> दिन के लिए फोटो एवं नाम के अतिरिक्त किसी भी संशोधन के लिए ऑनलाइन ऐडिट हेतु विकल्प खोला जायेगा। संशोधन के पश्चात् अभ्यर्थी को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जायेगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओटीपी के माध्यम से की जायेगी।		
3.	आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात् किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा।		
4.	सभी प्रकार के संशोधन हेतु शुल्क <b>500/-</b> रुपये निर्धारित है।		
5.	आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रतिक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्तर पर कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त ऑफलाइन/ऑनलाइन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।		
<b>PATTERN OF THE COMPETITIVE EXAMINATION FOR THE POST OF ASSISTANT STATISTICAL OFFICER</b>			
<b>(I) Examination Pattern/Scheme</b>			
<b>S. No.</b>	<b>Subject</b>	<b>No. of Questions</b>	<b>Total Marks</b>
Part - A	General Knowledge	30	30
Part - B	Statistics, Economics and Mathematics	70	70
			<b>Examination Duration</b>
			2 Hours
1.	According to syllabus there will be 100 Questions of Multiple choice (Objective Type) carrying equal marks.		
2.	There will be Negative Marking. 1/3 mark will be deducted for each wrong answer.		
3.	The minimum qualifying marks shall be 40% of total marks of the examination.		
4.	Relaxation of five percent belonging to ex-serviceman or in case of non-availability of ex-serviceman, further more five percent.		
5.	The Standard of paper will be that of Master's Degree Level.		
<b>परीक्षा शुल्क:-</b>			
(क)	सामान्य (अनारक्षित) वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु :-	रुपये 350/-	
(ख)	राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं अर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के आवेदक हेतु :-	रुपये 250/-	
(ग)	निःशक्तजन, राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी परिवारिक आय 2.50 लाख से कम है, के आवेदकों हेतु :-	रुपये 150/-	
(घ)	टी.एस.पी. क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं बांस जिले की समस्त तहसीलों के सहरिया आदिम जाति के आवेदकों हेतु :-	रुपये 150/-	
<b>नोट :-</b>			
1.	राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।		
2.	राज्य सरकार द्वारा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की तिथि के द्विस्टिग लिये गये निर्णय के क्रम में जारी परिपत्र दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वारिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, के लिए किसी भी भर्ती/परीक्षा/चयन में प्रवेश करने के लिए अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के समान ही आवेदक शुल्क देय होगा। उक्त परिपत्र के अनुसार राजस्थान राज्य के जिन क्षेत्रों के समय परिवार की वारिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होने का विकल्प चुना गया है, उन अभ्यर्थियों को पारता जांच/साक्षात्कार के समय सक्षम प्राप्त पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा अभ्यर्थी को उसके वर्ग के अनुसार अन्तर राशि का शुल्क जमा करना होगा।		
3.	राज्य सरकार द्वारा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की तिथि के द्विस्टिग लिये गये निर्णय के क्रम में जारी परिपत्र दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वारिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, के लिए किसी भी भर्ती/परीक्षा/चयन में प्रवेश करने के लिए अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के समान ही आवेदक शुल्क देय होगा। उक्त परिपत्र के अनुसार राजस्थान राज्य के जिन क्षेत्रों के समय परिवार की वारिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होने का विकल्प चुना गया है, उन अभ्यर्थियों को पारता जांच/साक्षात्कार के समय सक्षम प्राप्त पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा अभ्यर्थी को उसके वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।		
4.	अभ्यर्थी आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन समय सीमा में आवेदन की अंतिम दिनांक का इन्टर्व्यू लेने के बावजूद जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।		
5.	अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में इन्ड्राज मोबाइल नम्बर एवं पते में परिवर्तन नहीं करें। यदि परिवर्तन करना आवश्यक हो तो इसकी सूचना आयोग को पृथक से उपलब्ध करायेंगे।		
6.	आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन—पत्र व्यापक रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आशावस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही—सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन—पत्र व्यापक रूप से भरने से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों को आशावस्त हो कर जायेगी।		
7.	आवेदक द्वारा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग/परीक्षा/चयन में जारी परिपत्र दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वारिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, के लिए किसी भी भर्ती/परीक्षा/चयन में प्रवेश करने के लिए अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/वर्ग/भर्ती/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मन्त्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के अभ्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अंतिम दिनांक पश्चात्/संशोधन करने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन—पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी एवं अभ्यर्थी/आवेदक स्वयं ई-मिट्र अथवा अन्य स्त्रीत पर जाकर आवेदन करवायें। ई-मिट्र अथवा अन्य स्त्रीत के भरोसे न छोड़े कि उनके द्वारा आपका ऑनलाइन आवेदन—पत्र सही—सही भर दिया होगा/जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरे जाने पर आयोग अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु स्तंत्र होगा।		
8.	यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो ऐसे अधिकारों का परित्याग मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् उसकी श्रेणी में सुधार की होगी। अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/वर्ग/भर्ती/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मन्त्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के अभ्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अंतिम दिनांक पश्चात्/संशोधन करने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन—पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी एवं अभ्यर्थी/आवेदक स्वयं ई-मिट्र अथवा अन्य स्त्रीत पर जाकर आवेदन करवायें। ई-मिट्र अथवा अन्य स्त्रीत के भरोसे न छोड़े कि उनके द्वारा आपका ऑनलाइन आवेदन—पत्र सही—सही भर दिया होगा/जायेगा।		
9.	यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि तक विस्तृत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं करता है तो यह माना जाकर कि अभ्यर्थी उक्त पद हेतु इच्छुक नहीं है एवं उसकी अभ्यर्थिता अवृद्धि करता है।		
10.	माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आपाएसी बनाम प्रियंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन—पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो उसे विधवा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जायेगा। इसी प्रकार ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् परन्तु ऑनलाइन आवेदक शुल्क देने से भरी भर्ती/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मन्त्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण अभ्यर्थी की अपात्रता का चलता है तो ऐसे अभीप्राय नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी अपात्रता की जाँच अलग से की जाएगी। अस्थाई रूप से चयन होने की विधियां आवेदक को उल्लेखित वर्ग प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों एवं परीक्षा फोटो प्रतियों एवं परीक्षा वर्ग/वर्ग/अर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मन्त्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण अभ्यर्थी की अपात्रता का चलता है तो ऐसे अभीप्राय नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी अपात्रता की जाँच अलग से की जाएगी। अस्थाई रूप से चयन होने की विधियां आवेदक को उल्लेखित विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक/संशोधन की दिनांक के विवरण नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।		01.11.2017
11.	आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव (प्रमाण—पत्र) होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लेखित अनुसार शैक्षणिक/प्रैश्यकार्य योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का विवरण नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निनार्वाह करना नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का विवरण नहीं किया जायेगा।		
12.	आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निनार्वाह करना नहीं किया जायेगा।		
13.	परीक्षार्थी को ई—प्रेसेज—पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा—निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।		
14.	परीक्षा के दौरान ओ.एम.आर. पत्रक (उत्तर पुस्तिका) में अंकित दिशा—निर्देशों की पालना रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा ओ.एम.आर. पत्रक में किसी प्रकार की		

- गलती/त्रुटि करने के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा ना कि आयोग जिम्मेदार होगा।
15. परीक्षा के दोरान प्रश्न-पत्र में अकित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा प्रश्न-पत्र में दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण किसी प्रकार का गलती/त्रुटि के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा ना कि आयोग जिम्मेदार होगा।
  16. प्रश्न-पत्र में त्रुटि होनें अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/सही होनें अथवा उत्तर कुंजी में गलती/त्रुटि अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के विषय विशेषज्ञों के पैनल द्वारा तैयार की गई अन्तिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम को मानने का आयोग को स्वाधिकार होगा, जो सभी अम्बर्यार्थियों को स्वीकार्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
  17. परीक्षार्थी द्वारा कन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन नहीं करने/परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध आयोग/कन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझ समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत आयोग द्वारा निर्धारित नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
  18. यदि किसी अम्बर्यार्थी/परीक्षार्थी को आयोग की किसी भी भर्ती/परीक्षा बोर्ड द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग/उपभोग या अनुचित/अभद्र व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं/साक्षात्कारों आदि से विवर्जित (Debar) किया गया है, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
  19. राज्य कर्मचारी को देय लाभ यथा आयुसीमा में छूट, आरक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य ही माने जायेंगे, उन्हें उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।

#### **प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :-**

- आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विधाया/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य) का लाभ तब ही देय होगा जबकि, मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो, तथा दस्तावेज सही पाये गए हो। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जाये :-
1. जाति प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो।
  2. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए होने आवश्यक हैं।
  3. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
  4. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अम्बर्यार्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अम्बर्यार्थियों को Online Application Form में सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
  5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा टी.एस.पी. क्षेत्र का प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार अधिसूचना के पश्चात का जारी किया हुआ होना चाहिए।
  6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
  7. आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के अम्बर्यार्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी Income & Assets Certificate प्रस्तुत करना होगा।
  8. शैक्षणिक/प्रशिक्षणिक योग्यता/अनुभव आवेदन की अंतिम दिनांक/परीक्षा दिनांक/साक्षात्कार दिनांक तक (जो भी विज्ञापन में उल्लेखित हो) अंजित होना आवश्यक है तथा शेष सभी जैसे-श्रेणी/वर्ग/जाति/टी.एस.पी. श्रेणी (सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रतिवर्ग में प्रमाण-पत्र), आयु (आयु की गणना हेतु सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण-पत्र), उत्कृष्ट खिलाड़ी (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देश प्रपत्र में प्रमाण-पत्र), विकलांगता (सम्पूर्ण भारत वर्ग के किसी भी राज्य के सक्षम विकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण-पत्र जिसमें विशेषता की श्रेणी का श्याम प्रपत्र उल्लेख हो), राज्य कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी एवं अन्यादि के अनुसार प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। विधाया श्रेणी में आवेदन करने वाले अम्बर्यार्थियों को पास पति का मूल्य प्रमाण-पत्र एवं पति के नाम से लिंक ऐसा दस्तावेज/साक्ष्य जिसमें पति का नाम अंकित (रेखा-राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र, भत्ताता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) हो प्रस्तुत करना होगा तथा परिव्यक्ता/तलाकशुदा श्रेणी में आवेदन करने वाले अम्बर्यार्थियों के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तत्काल सम्बन्धी डिग्री परीक्षा का मूल परिणाम जारी होने की दिनांक तक होना आवश्यक है।
  9. भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान — कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अंजित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर—भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वार्ताविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चर्यनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथित कर सकता और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर—भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ग की अवधि की गणना आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से की जायेगी। कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार यदि किसी सूचूपूर्व सैनिक के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर लिया जायेगा तो नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सौधी भर्ती की दशा में जहां किसी भी पद के लिए, किसी निम्नतम पद का अनुभव अंजित है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से कि वह, सरकारी सेवा में किसी निम्नतम पद, जिसका अनुभव उच्चतर पद, पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्योजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्रसिद्धि समान हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सौधी भर्ती की दशा में जहां किसी भी पद के लिए अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और अंतिम आवेदन को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख—वार ब्यौरों के बारे में कोई स्वतः धोषणा पत्र/वचनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्क/संविधा/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुनर्योजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा।
  10. शासन के परिपत्र क्रमांक प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्र के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्स्वभूती विवाह प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
  11. ऐसा कोई भी अम्बर्यार्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे/संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों/सन्तानों का अधीन किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए एवं तब तक निरहित नहीं सम्भव हो जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों/सन्तानों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती है। यदि उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्रसिद्धि समान हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सौधी भर्ती की दशा में जहां किसी भी पद के लिए, किसी निम्नतम पद का अनुभव अंजित है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से कि वह, सरकारी सेवा में किसी नियुक्ति को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और अंतिम आवेदन की तारीख—वार ब्यौरों के बारे में कोई स्वतः धोषणा पत्र/वचनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति होनी की जाएगी। परन्तु यह भी कि किसी आवेदन की तारीख से पूर्व एवं उसके पुनर्योजन के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदन की तारीख से पूर्व एवं उसके पुनर्योजन के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा।
  12. आवेदक को विज्ञापन में उल्लेखानुसार आवश्यक वांछित शैक्षणिक योग्यता व अनुभव प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
  13. विधाया/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्योजित होनी की जाने संबंधी शापथ परिव्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शापथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  14. आवेदक को अन्तिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम कम “अच्छा” का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा।
  15. आवेदक को चयन उपरान्त आचरण सम्बन्धी पुलिस सत्वापन प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के विचाराधीन होने पर नियुक्ति होने से अधिक प्रक्रिया को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के विचाराधीन होने पर नियुक्ति होने से अधिक प्रक्रिया को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
  16. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जाँच सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
  17. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा/जैसे कन्चनीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोजिता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

#### **आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन-पत्र नक्षत्र भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश :-**

अम्बर्यार्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थीयों हेतु आवेदन-पत्र में आवश्यक वांछित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक को ऑनलाइन/विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग द्वारा खरिज/निरस्त कर दिया जाता है, तो इससे अन्यादि कोई प्रार्थना-पत्र पर विचार की जाएगी। अगर अन्यादि कोई प्रार्थना-पत्र पर विचार की जाएगी तो विज्ञापन में विशेष नाट् :- यहां यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक /ई-मित्र/अन्य स्त्रोत द्वारा किय